

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रिन्सिपल बैंच ,नई दिल्ली

OA NO. 134/2017(cz)

रमेशचन्द्र अग्रवाल
विरुद्ध
मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सिपल बैंच ,नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.09.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रगति रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 134/2017 (रमेशचन्द्र अग्रवाल विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य) में दि.11.09.2020 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

In Compliance thereof, the District Magistrate District Agar, Malwa and Madhya Pradesh pollution Control Board has Submitted joint inspection report which as follow :-

- 1- The demarcation of the land has been done. In Davlasa Talai and Ratadiya Pond some encroachments were found.
- 2- There is no manner to prevent discharge of untreated water into the pond Motisagar. It is reported that RCC Drain is under construction
- 3- The manner of preventing the discharge of untreated water into the ponds are required to be taken.
- 4- The remedial measures are being taken and the proposal has been sent to the Government.

Accordingly, we direct the Collector Agar Malwa to remove the illegal or unauthorized construction and encroachments within the water body and do necessary remedial action within a time frame and further progress report be submitted to this Tribunal by 10th December, 2020.

उक्त पारित आदेश के अनुपालन में प्रगति प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

रातड़िया तालाब नोईयत की भूमि पर चिन्हित अतिक्रमण कर्ताओं में से 05 नाला निर्माण में बाधक अतिक्रमण हटाए जाकर नाले का निर्माण किया जा चुका है। जिले में विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की आदर्श आचार संहिता दिनांक 29.09.2020 से 12.10.2020 तक प्रभावशील थी। उसके उपरांत शेष अतिक्रमण हटाने हेतु नगर पालिका परिषद आगर द्वारा अतिक्रमण कर्ताओं को नोटिस जारी किये गये हैं।

मोतीसागर तालाब एवं दाबलसा मैदान तलाई में दूषित जल का निस्सारण नहीं है । रातडिया तालाब के दक्षिण क्षेत्र की ओर स्थित मालीपुरा बस्ती की ओर से निस्सारण होने वाले दूषित जल को तालाब में मिलने से रोकने हेतु नगर पालिका द्वारा एक आर.सी.सी. नाले का निर्माण किया जा रहा था। जिसका कुछ हिस्सा अतिक्रमण के कारण शेष था जो कि वर्तमान में पूर्ण कर लिया गया है । तालाब के उत्तर क्षेत्र में छावनी क्षेत्र की ओर से एक मात्र छोटी नाली का दूषित जल तालाब में मिल रहा है, जिसे रोकने हेतु पक्के नाले का निर्माण किया जा रहा है । जो कि शीघ्र पूर्ण किया जावेगा ।

रातडिया तालाब के संरक्षण हेतु शासन द्वारा रु. 340 लाख की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत शंकर कुडर्यो के समीप 500 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित करने की योजना भी प्रस्तावित है जिसकी तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित थी जिसमें अधिक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग उज्जैन द्वारा पत्र क्रमांक 1698 दिनांक 31.08.2020 से तकनीकी स्वीकृति जारी कि जा चुकी है। जो कि (परिशिष्ट-1) पर संलग्न है । प्रकरण प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक 2168 दिनांक 07.09.2020 से भेजा गया है । (परिशिष्ट-2) एवं स्मरण पत्र क्रमांक 2486 दिनांक 09.10.2020 को प्रेषित किया गया है । (परिशिष्ट-3) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उक्त योजना की शीघ्र ही निविदाये जारी की जाकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य कराया जायेगा ।

(संलग्न :-उपरोक्तानुसार)

उपरोक्तानुसार प्रगति रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष सादर प्रेषित है ।



(अवधेश शर्मा)

कलेक्टर

जिला- आगर मालवा



संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (यांत्रिकी प्रकोष्ठ) उज्जैन संभाग, उज्जैन
Joint Director, Urban Administration & Development (Technical Cell) Ujjain Division Ujjain

Block "A" Bharatpuri
Ujjain (M.P.) Pin 4560
Phone : 0734-251542
www.mpurban.gov.in
ceujjain@mpurban.gov

क्र०/ यां.प्र./तक.स्वी./2020 /1698
प्रति,

उज्जैन, दिनांक- 31/8/2020

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका आगर
जिला- आगर

विषय :- तकनीकी स्वीकृति (रातडिया तालाब (रत्ना सागर तालाब) के संरक्षण एवं विकास कार्य)।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 1490 दि. 30.06.2020 एवं संशोधन उपरांत आपका पत्र क्र. 1989 दि. 18.08.2020

—0—

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में संलग्न प्राक्कलन पर निम्न शर्तों के आधार पर प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति हेतु निम्न कार्य के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	स्थल का विवरण	प्राक्कलन राशि
01	रातडिया तालाब (रत्ना सागर तालाब) के संरक्षण एवं विकास कार्य।	रातडिया तालाब	लागत राशि रु. 30358391.20 + जी.एस.टी. @ 12% राशि रु. 3643007.00 = 34001398.00

शर्तें :-

- संबंधित प्राक्कलन की प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल (म.प्र.) के एकीकृत मानक दर सूची (UADD ISSOR) दि.10.05.2012 एवं संशोधन दिनांक 24.11.18 के अनुरूप दर पर जारी की जाती है।
- उक्त तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रदाय की जा रही है, कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर निविदा जारी करने के पूर्व SAP Portal के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य है, आवश्यकतानुसार कार्य की स्ट्रक्चरल ड्राईंग डिजाइन किसी इंजिनियरिंग संस्थान से परीक्षण उपरांत ही तकनीकी स्वीकृति हेतु SAP Portal पर अपलोड करें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित सहायक यंत्री/उपयंत्री की रहेगी।
- कार्य एस.ओ.आर. स्पेसिफिकेशन के एवं शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कराया जावे, कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निविदा दरों की औचित्यता सुनिश्चित करने के उपरांत निकाय हित में निर्णय लिया जावे तथा अंतिम देयकों का भुगतान के पूर्व निकाय हित में सक्षम अधिकारी से देयक परीक्षण कराया जावे।
- प्राक्कलन पर प्रथम स्तरीय तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर अनुमोदित की जा रही है कि स्थल विवादास्पद नहीं है, स्थल चयन, भूस्वामित्व का परीक्षण निविदा आमंत्रित करने से पूर्व कर लें। विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी/परिषद् उत्तरदायी रहेगी।
- तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
- म.प्र.न.पा. (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुसार प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति ली जाना सुनिश्चित किया जावे।
- निविदा जारी दिनांक तक प्रचलित एस.ओ.आर. में कोई संशोधन जारी होने से इस कार्यालय द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति प्रभावित होती है पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय से लेना सुनिश्चित करें।

(Handwritten Signature)




संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास (यांत्रिकी प्रकोष्ठ) उज्जैन संभाग, उज्जैन
Joint Director, Urban Administration & Development (Technical Cell) Ujjain Division Ujjain

Block "A" Bhamraipuri
Ujjain (M.P.) Pin 4560
Phone : 0734-251542
www.mpurban.gov.in
ceujain@mpurban.gov.in

8. टेस्टिंग अधिकृत लेब से कराने के उपरांत ही भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। टेस्ट रिपोर्ट के अभाव में भुगतान न किया जावे।
 9. प्रचलित दर सूची में जो संशोधन लागू किये गये निविदा सूचना में स्पष्ट तौर पर उन संशोधनों का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।
 10. प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति यदि पूर्व में निकाय द्वारा प्राप्त कर ली गई हो तो उक्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
 11. शासन आदेश अनुसार 1.00 लाख व इससे अधिक के निर्माण कार्यों की निविदा ई-टेंडरिंग प्रणाली से करना अनिवार्य है तथा निर्माण कार्य परफारमेन्स ग्यारंटी अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें।
- संलग्न :- प्राक्कलन उपरोक्तानुसार।


31/8/20


अधीक्षण यंत्री,
नगरीय प्रशासन एवं विकास
उज्जैन संभाग, उज्जैन

कार्यालय नगरपालिका परिषद् आगर जिला आगर-मालवा (म0प्र0)

क्र/2020/न.पा./ 2168

आगरदिनांक 07.09.20

प्रति,

आयुक्त महोदय
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
भोपाल म.प्र.

विषय :- रातडिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य लागत 340.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति विषयक ।
सन्दर्भ :- अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क्र/1698 /या प्र /तक.स्वी. /2020/उज्जैन दिनांक 31.08.20 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में निवेदन है की नगर पालिका परिषद् आगर को रातडिया तालाब सौंदर्यीकरण कार्य लागत 340.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास आदेश क्र 4125 /या.प्र./7 /झीलों एवं तालाब /2020 भोपाल दिनांक 18.03.20 राशि 116.56 लाख की प्राप्त हुई है जिसकी प्रतिलिपी पत्र के साथ संलग्न है कार्य की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन का पत्र क्र/1698 /या प्र /तक.स्वी. /2020/उज्जैन दिनांक 31.08.20 द्वारा राशि 340.00 लाख (जी एस टी सहित) की दी गयी है । म प्र नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 2018 के 237 (5) तालिका अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन श्रीमान के द्वारा किया जाना है ।

अतः उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे।

पृ.क्र/2020/न.पा./ 2169

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण यंत्री महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् आगर
आगर दिनांक

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद् आगर

18
07/09/2020
आवक लिपिक
संचालनालय
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म प्र भोपाल